

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ०प्र०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरुष / महिला  
/ संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ

दिनांक : 11 अगस्त, 2015

विषय:-समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित  
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र  
संख्या-526 / पीएसएमएस / 2015, दिनांक 11.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) की ओर  
आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में  
उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-2511 (1) / सेक-2-पांच-15, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र को संलग्नक  
सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करने का  
कष्ट करें।
- 2- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

7(152)/15

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

81-1

विषय: अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समूह-'क' एवं समूह-'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय निम्नलिखित विन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा किये गये सार्थक प्रयत्नों एवं के कार्यों की गुणात्मकता तथा प्राप्त परिणाम के आधार पर मूल्यांकन कर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन किया जायेगा:-

- (1) मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने हेतु किये गये प्रयत्न एवं इस हेतु प्रदत्त योगदान।
  - (2) शासन के विकास एजेण्डा के सूत्रों का निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं समयबद्ध क्रियान्वयन।
  - (3) स्वीकृत बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियों का समयबद्ध रूप से निर्गत किया जाना, धनराशि के सदुपयोग की स्थिति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति।
  - (4) महिलाओं तथा समाज के पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयास।
2. उपर्युक्त विन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये योगदान के सम्बन्ध में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

4322(3)/15

Secy / All Special Secy's

for no 14

8362/SMH/15  
VSPN


भवदीय,  
Aya  
(आलोक रंजन)  
मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

परिचालित  
21-4-15

25/4/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन।

भवदीय,  
  
(आलोक रंजन)  
मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।